

**न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**

प्रकरण क्रमांक : 692 / 2015

संस्थापन दिनांक 16.09.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड  
म.प्र.

– अभियोजन

**बनाम**

1-विकाससिंह पुत्र हरीज्ञानसिंह तौमर उम्र 25 वर्ष  
निवासी गोवर्धन कॉलोनी डॉ0 विश्वकर्मा के बगल में  
गोले का मंदिर ग्वालियर

– अभियुक्त

**निर्णय**

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338, 337 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.07.15 को 21:40 बजे आर.टी. ओ. बैरियर के पास भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर ऑल्टो कार क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा तन्मय कुमार अ0सा02 को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा फरियादी आकाश मण्डल अ0सा01 को टक्कर मारकर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.15 के रात करीब 9:40 बजे फरियादी आकाश मण्डल अ0सा01 मालनपुर से ए.टी.एम. से रुपये निकालकर मोटरसाइकिल क्रमांक जे.एच.-11-एच.6818 से आइडियाज कॉलेज वापिस जा रहे थे। मोटरसाइकिल तन्मय कुमार अ0सा02 चला रहा था तथा वह पीछे बैठा था जैसे ही आर.टी.ओ. बैरियर मालनपुर के पास आये तो ग्वालियर तरफ से ऑल्टो कार क्रमांक एम0पी0-07-ई.ए.-0145 का चालक अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर से तन्मय कुमार के बांये पैर और मुंह में चोटें आई तथा

उसके बांये पैर में चोट आई। ऑल्टो कार का चालक अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। तत्पश्चात फरियादी आकाश मण्डल अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अप0क्र0 114/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
  1. क्या आरोपी ने दिनांक 07.07.15 को 21:40 बजे आर.टी.ओ. बैरियर के पास भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर ऑल्टो कार क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन से तन्मय कुमार अ0सा02 को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?
  3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन से फरियादी आकाश मण्डल अ0सा01 को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी आकाश मण्डल अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपी विकास को नहीं जानता है। दिनांक 07.07.15 को रा. 8:10 बजे के मध्य वह और तन्मय अ0सा02 मालनपुर स्थित ए.टी.एम. से पैसे निकालने गये थे जब वह कॉलेज वापिस आ रहे थे तब मालनपुर पर बैरियर पर जब वह सीधे जा रहे थे तब सामने से सुनहरे या सिल्वर रंग की ऑल्टो कार लापरवाही से गलत दिशा से 60-70 की स्पीड से आई जिसका नंबर उसे याद नहीं है और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी चालक टक्कर मारकर नहीं रुका भाग गया। उसके पांव में कम चोट आई थी उसे बांये पैर और सिर में चोट आई थी परन्तु तन्मय अ0सा02 की दांये पैर की हड्डी तीन जगह से टूट गयी थी तथा दांत भी टूट गया था फिर फोन करके एम्बुलेन्स को बुलाया था जहां से वह इलाज के लिए गये थे। घटना के तीन दिन बाद वह रिपोर्ट प्र0पी-1 लिखाने मालनपुर थाने आये थे। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि ऑल्टो कार का नंबर एम.पी.-07-ई.ए.0145 था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कार का नंबर घटनास्थल पर देखना बताया है। मुख्यपरीक्षण में इस साक्षी ने कार का नंबर ज्ञात न होना बताया है लेकिन अभियोजन के सुझाव में कार का नंबर बताया है जिस संबंध में प्रतिपरीक्षण में स्पष्टीकरण दिया है कि उसने फोटो खींच लिया था जिसका नंबर उसने देख लिया है।
6. साक्षी तन्मय अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी विकास को नहीं जानता है। 07 जुलाई 2015 में से हॉस्टल से खाना खाने के लिए मालनपुर स्थित शर्मा होटल की ओर गया था। वापिस लौटते समय साढ़े नौ बजे आर.टी.ओ.

चैकपोस्ट के पास एक सिल्वर रंग की ऑल्टो कार ने लापरवाही से साइड छोड़कर उसकी साइड में तेजी से बांयी तरफ टक्कर मार दी थी उसकी हीरो होण्डा सी.बी. जेड. मोटरसाइकिल क्रमांक जे.एच.11-एच.6818 पर उसके साथ आकाश भी था। कार का नंबर एम.पी.-07-ई.ए.0145 था। उसके बांये पैर में 3-4 जगह हड्डी टूट गयी थी व छाती व मुंह में चोट आई थी और आकाशा अ0सा01 के बांये पैर में चोट आई थी। चोट लगने के बाद एम्बुलेन्स को फोन से बुलाया था। जहां से उसे जी.आर.एम.सी. हॉस्पिटल ले जाया गया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी ढ णोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वह आरोपी विकास को जानता है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने कथन प्र0डी-1 में आरोपी विकास द्वारा टक्कर मारने वाली बात लिखाई थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन प्र0डी-1 में ए.टी.एम. से पैसे निकालने जाने वाली बात लिखाये जाने से इंकार किया है। अतः इस साक्षी ने घटनास्थल पर जाने का कारण आकाश अ0सा01 व कथन प्र0डी-1 से भिन्न बताया है और कथन प्र0डी-1 में उल्लिखित होने के उपरांत भी आरोपी विकास द्वारा टक्कर मारे जाने के तथ्य लिखाये जाने से इंकार किया है।

7. साक्षी सौरजो सेन अ0सा03 ने कथन किया है कि गत वर्ष वह मालनपुर में फल खरीदने गया था वहां से ऑटो से लौट रहा था तब आकाश और तन्मय मोटरसाइकिल से भिण्ड की तरफ से जा रहे थे। तब मालनपुर आर.टी.ओ. पर एक सिल्वर रंग की ऑल्टो कार क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 उल्टी दिशा से आई जिसने आकाश अ0सा01 व तन्मय अ0सा02 की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। उसने ऑटो रोककर कॉलेज के लड़कों व एम्बुलेंस को फोन किया और आहतगण को उठाया। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने 20फीट की दूरी से टक्कर होते हुए गाड़ी का नंबर देख लिया था। उसने कार चालक को कभी नहीं देखा।
8. साक्षी शक्तिसिंह अ0सा04 ने कथन किया है कि कार क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 का वह स्वामी है परन्तु उक्त गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उक्त गाड़ी को कभी वह चलाता है और कभी उसका भाई विकास चलाता है क्योंकि वह घर की गाड़ी है। परन्तु उसने पुलिस को प्रमाणीकरण नहीं दिया। इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 07.07.15 को उसकी ऑल्टो क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 को विकास चलाकर ले गया था जिसने एक्सीडेंट किया है और प्रमाणीकरण प्र0पी-2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर उक्त प्रमाणीकरण दिए जाने से इंकार किया है और प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब प्रमाणीकरण प्र0पी-2 पर उसने हस्ताक्षर किए थे उस समय उस पर कुछ नहीं लिखा था।
9. प्रकरण में आहत साक्षी आकाश अ0सा01 व तन्मय अ0सा02 ने घटना के समय आरोपी विकास द्वारा ही गाड़ी चलाया जाना नहीं बताया है। तन्मय अ0सा02 द्वारा पुलिस कथन प्र0डी-1 में आरोपी का नाम वर्णित करने पर भी न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपी का नाम लिखाये जाने से इंकार किया है। तीनों प्रत्यक्ष साक्षीगण ने दुर्घटना वाहन क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 से घटित होना बताया है। परन्तु वाहन स्वामी शक्ति अ0सा04 ने उक्त वाहन घटना के समय आरोपी के नियंत्रण में होने से ही इंकार किया है और प्रमाणीकरण प्र0पी-2 को ही अभियोजन अंतर्वस्तु के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सका है। अभियोजन का मामला

प्रत्यक्ष साक्ष्य पर ही निर्भर है और प्रत्यक्ष साक्षीगण ने ही न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपीगण द्वारा दुर्घटना कारित करना स्पष्ट नहीं किया है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में दुर्घटना के समय वाहन क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 आरोपी द्वारा परिचालित किया जाना ही अभियोजन सिद्ध नहीं कर सका है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 07.07.15 को 21:40 बजे आर.टी.ओ. बैरियर के पास भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर ऑल्टो कार क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा तन्मय कुमार अ0सा02 को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा फरियादी आकाश मण्डल अ0सा01 को टक्कर मारकर उपहति कारित की।

10. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
12. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम.पी.-07-ई.ए.0145 पूर्व से आवेदक शक्तिसिंह की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0